फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या व नाम :- अनुदान संख्या- 46 वित्तीय वर्ष 2016-17

(धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8±11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर -091-संलग्न कार्यालय-03-कार्यालय निरीक्षणालय-00-29-अनुरक्षण	100	91	10	10	90	2052-सचिवालय सामान्य सेवायें- 00-आयोजनेत्तर--091-संलग्न कार्यालय-03-कार्यालय निरीक्षणालय-00-13-टेलीफोन पर व्यय	10	20	10	10	20
योग-	100	91	10	10	90		10	20	10	10	20

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

1- कार्यालय भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य गत वर्ष कराया जा चुका है, ऐसी स्थिति में इस वर्ष आवंटन के पूर्ण उपभोग की संभावनाएं कम है। इस आधार पर मानक मद-29-अनुरक्षण में आवंटित् रू0 100 हजार की धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 91 हजार में से रू0 10 हजार मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय में पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत कराया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से हैं :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय में वर्ष में आवंटित धनराशि रू0 10 हजार के सापेक्ष मार्च, 2016 से जून, 2016 तक रू0 07 हजार व्यय हो चुका है। इस अनुपात में वित्तीय वर्ष की शेष अवधि (08 माहों) हेतु अनुमानित रू0 10 हजार की और आवश्यकता होगी। गत वर्ष के सापेक्ष अधिक व्यय का कारण इण्टरनेट का प्रयोग तथा उसकी दरों का बढ जाना है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151, में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

संख्या- आर0ई0 83-यू0ओ0-ई-9-311/दस-2016, दिनांक 30-8-2016

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उ0प्र0, इलाहाबाद।

राम सुमेर
अनु सचिव, वित्त विभाग।

भवेश रंजन
उप सचिव।

संख्या-24/2016/1018/43-1-2016-7(3)/2015 दिनांक 02 सितम्बर, 2016;

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- आहरण एवं वितरण अधिकारी, राजकीय कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 (तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

भवेश रंजन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in